International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 8 Issue 4, Ser. I || April, 2019 || PP. 88-91

राष्ट्र भाषा का प्रश्न एवं महात्मा गाँधी हिन्दी – हिन्दुस्तानी के विशेष संदर्भ में

अनुराधा सिंह,
पी.एच0डी0 एसोसिएट प्रोफेसर
इतिहास विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी–221005

समूचे हिन्दुस्तान के साथ व्यवहार करने के लिए हमको भारतीय भाषाओं में एक ऐसी भाषा *की जरूरत है जिसे आज ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग जानते और समझते हों और बाकी लोग इसे आसानी से सीख सकें। इसमें कोई भाक नहीं हिन्दी ही ऐसी* भाषा *है।*

महात्मा गाँधी

किसी देश की पहचान उस देश की भाषा और उसके साहित्य से होती है। यह भाषा और साहित्य का ही संर्दभ होता है जो उस देश के इतिहास को दुनिया के साथ साझा करता है। भाषा–साहित्य के संर्दभ से सृजित इतिहास ही राष्ट्र की पहचान को वैश्विक रूप से दुनिया के सामने ले जाने में सहायक होता है। भारत भाषाई रूप से दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। भाषाई–विविधता के परिवेश में ये भाषाएँ अलग–अलग सामाजिक अस्मिताओं के प्रकटीकरण का माध्यम होने के साथ ही सांस्कृतिक अस्तित्व हेतु एक–दूसरे की ताकत हैं। भारतीय उपमहाद्विप के भाषाओं के इस विविधता पूर्ण परिवेश में हिन्दी भाषा को एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्थान प्राप्त है। हिन्दी भाषा का प्रभाव तथा महत्व भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में स्वभाविक रूप से परिलक्षित होता है। इसी प्रभाव और महत्व के आलोप में हिन्दी भाषा को हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा 14 सितम्बर 1950 ई0 को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया।[1] स्वतंत्रता आन्दोलन के समय उत्तर भारत में हिन्दी जन–जन की सर्म्पक भाषा के रूप में स्थापित हुई तो दक्षिण भारत के इलाको में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे बड़े नेताओं द्वारा हिन्दी– हिन्दुस्तानी का प्रचार–प्रसार किया गया और दक्षिण भारत हिन्दी–समिति के द्वारा इसे दक्षिण में लोगों के पास पहुँचाने का कार्य किया गया। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय कवियों, लेखकों, कहानीकारों, पत्रकारों तथा सिनेमा आदि के द्वारा हिन्दी भाषा का व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि हिन्दी भाषा को लोकप्रिय स्थान प्राप्त होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन और हिन्दी भाषा के प्रचार–प्रसार कि मुहिम दोनो एक साथ समानांतर चल रही थी। सही मायने में जब स्वतंत्रता आन्दोलन में महात्मा गाँधी के नेतृत्व का प्रभाव बढ़ा तो हिन्दी भाषा का प्रचार–प्रसार धीरे–धीरे बढ़ने लगा। इसी संर्दभ में महात्मा गाँधी की हमेशा यह कोशिश रहती थी कि स्वतंत्रता आन्दोलन को गति देने वाले जो आन्दोलन किये जाए वे हिन्दी में अवश्य जाने जाए। सम्भवतः इसी बात को ध्यान में रख कर गाँधी अपनी प्रार्थना सभाओं में बहुधा हिन्दी भाषा में प्रवचन दिया करते थे। इसी कारण जब सत्याग्रह, असहयोग आन्दोलन, सविनय–अवज्ञा आन्दोलन और भारत–छोड़ो आन्दोलनों का क्रियान्वयन किया गया तो पूरे देश में हिन्दी भाषा के साथ तादात्मयता स्थापित करने में महात्मा गाँधी सफल रहे।

गाँधी सहज रूप से यह स्वीकारते थे कि इस बहुभाषी देश में एक ऐसी सम्पर्क वाली भारतीय भाषा होनी चाहिए, जिसे ज्यादा तादात में लोग जानें और समझें तथा बाकी लोग आसानी से सीख भी सकें।[2] वे इस सम्पर्क भाषा की जरूरत को राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार करने हेतु और अपने देश की एकता के साथ सामरिक जरूरत जान कर इसकी आवश्यकता के विशय में सोचते थे। उनकी सोच में उस एक सम्पर्क भाषा का स्थान हिन्दी–हिन्दुस्तानी भाषा को प्राप्त था।[3] गाँधी इस हिन्दी–हिन्दुस्तानी भाषा के उपयोगिता के संर्दभ में कहते थे कि इसे हम जब उर्दू की लिपी में लिखते हैं तो यह उर्दू कहलाती है। इस हिन्दी–हिन्दुस्तानी को हमें राष्ट्रभाषा के रूप में सीखना चाहिए। हमें चाहिए कि हम सभी इसकी दोनों शैलियों को समझे और इसे दोनो लिपियों में लिखें। गाँधी साफ तौर पर यह कहते थे कि जितने साल हम अंग्रेजी सीखने में बरबाद करते हैं उतने महीने में हम हिन्दी–हिन्दुस्तानी सीखने में लगाये तो हम जनसाधारण के प्रति अपने लगाव को प्रदर्शित और स्वीकार सकते हैं।[4] गाँधी द्वारा इसे हिन्दी–हिन्दुस्तानी कहने की हिमाकत करने के पीछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1925 ई0 में हुए कानपुर अधिवेशन के उस मशहूर प्रस्ताव का संर्दभ था जिसमें हिन्दुस्तान की भाषा के रूप में हिन्दुस्तानी को स्वीकार किया गया था।[5] गाँधी के समझ से यह स्पश्ट था कि इस अहिंसा के बुनियाद पर बनाये गये स्वराज्य में हर जनसाधारण व्यक्ति स्वतंत्र रूप से हाथ बँटाये। गाँधी प्रान्तीय भाषाओं के भी हिमायती थे। सम्भवतः इसी संर्दभ को ध्यान में रखकर वे कहते थे कि हमारी आम जनता लड़ाई के हर पहलू और हर सीढ़ी से परिचित न हो और उसके रहस्य को न समझे तो स्वराज्य की इस रचना में वह अपनी भागीदारी कैसे करेगी और जब तक सर्वसाधारण अपनी बोली– भाषा में इस लड़ाई के सभी पहलुओं और कदमों को अच्छे से समझ न जाए तो उससे कैसे उम्मीद की जाए कि वे इसमें हाथ बटा पायेंगे?[6]

गाँधी इस बात का खण्डन करते थे कि हिन्दी और उर्दू दो अलग–अलग ज़बान है, उनका मानना था ये बस लिखने के बहाने अलग–अलग हैं। बाकी इनका साझा स्वरूप हिन्दुस्तानी है।[7] वे एक सर्म्पक भाषा के रूप में देशी भाषाओं के साथ हिन्दुस्तानी की वकालत करते थे कि हमे हिन्दुस्तानी के नाम पर आपसी सहमति बनानी चाहिए कि हिन्दी और उर्दू के मेल से बनी इस भाषा को स्वीकार करें।[8] गाँधी इस बात से सख्त परहेज करते थे कि इस भाषा में संस्कृत, फारसी और अरबी के भाब्दों की भरमार नहीं होनी चाहिए वे इसे जन सामान्य की भाषा मानते थे। गाँधी के अनुसार अंग्रेजी तो राष्ट्रभाषा हो ही नहीं सकती।[9] राष्ट्रभाषा के संदर्भ में वो पाँच प्रमुख लक्षण बताते थे। पहला – वह सरकारी नौकरी के लिए आसान हो, दूसरा – उसमें भारत के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक कार्य किये जा सकें। तीसरा – अधिकांश लोग उस भाषा को बोलते हों, चौथा – वह राष्ट्रभाषा बनने के लिए आसान हो और पाँचवा – उस भाषा का विचार करते समय क्षणिक/ कुछ समय तक रहने वाली स्थिति पर जोर न दिया जाए।[10] इन संदर्भों से गाँधी आम जनमानस को इस बात का भी आश्वासन देते थे कि अंग्रेजी इन्हीं विषयों के साथ हमारे लिये उपयोगी नहीं है और ये सभी विशेशताएँ हिन्दी– हिन्दुस्तानी में है हिन्दुस्तान के संदर्भ में अन्य कोई भारतीय भाषा ये सभी विशेशताएँ अपने में नहीं रखती हैं।[11] गाँधी अपनी प्रार्थना सभाओं में हिन्दुस्तानी पर विचार करते हुये कहते थे कि लोग उन्हे पत्रों में लिखते हैं कि आप भाषा के विषय में हिन्दुस्तानी की वकालत करके यह कैसा भद्दा कार्य कर रहे हैं? लेकिन गाँधी कहते थे कि मैं मानता हूँ कि यह भद्दा कार्य नहीं है। गाँधी के अनुसार मैं हिन्दुस्तान और यूनियन के लिए बेहतर काम कर रहा हूँ।[12] गाँधी ने एक प्रसंग में यह लिखा है कि इस मुल्क में जो लोग बाहर से आये, वे यहाँ आये तो थे लूट–पाट करने के लिये, लेकिन वे इसी मुल्क के होके रह गए। वे सभी इसी मुल्क में अपना जीवन–बसर भी कर रहे हैं। उनके आने पर उर्दू ज़बान आई और ठेठ आम जनमानस तक पहुँच गई हैं।[13] इसका व्याकरण अरबी–फारसी से लिया गया है। हिन्दुस्तानी में ऐसा नहीं है। गाँधी संस्कृतमय हिन्दी से भी परहेज करते थे। वे कहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत के जाने के बाद हमें ऐसी भाषा चाहिए जो राष्ट्रभाषा के रूप में सभी प्रांतों को स्वीकार हो। एक राष्ट्रभाषा न होने पर हमारे आपस में घृणा पैदा हो जायेगी।

अंग्रेजी के संदर्भ में गाँधी से एक बार पूछा गया कि आप स्वराज्य प्राप्ति के लिये अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता समझते हैं कि नहीं तो उन्होंने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर हाँ और ना दोनो है। वे मानते थे कि करोड़ों हिन्दुस्तानियों को अंग्रेजी पढ़ाना उन्हे गुलामी में फंसा देने जैसा है। स्वराज्य की बात पराई भाषा में करना रंकता के समान है।[14] गाँधी कहते थे मैकाले के द्वारा जो शिक्षा की नींव डाली गई है वह सही मायने में हमारी गुलामी के लिये खाद–पानी देने जैसी है। गाँधी यह साफ तौर पर कहते थे कि अंग्रेजी पढ़कर हमने अपने राष्ट्र को गुलाम बनाया है। वो यहाँ तक कहते थे कि अंग्रेजी पढ़े हुए लोग आम हिन्दुस्तानियों को ठगने और डरवाने का काम कर रहे हैं।[15] वह इस बात के संदर्भ में यह भी कहते थे कि मैं अपने देश में अंग्रेजी के सहारे ही रोजगार पाया हूँ, यह कितनी बड़ी विडम्बना है? यह गुलामी की हद है। इसके लिये हम अंग्रेजों से अधिक स्वयं दोशी हैं हम अंग्रेजीदां लोग ही हिन्दुस्तान को गुलाम बनाये रखने में मदद दे रहे हैं। इस लिए राष्ट्र की हाय अंग्रेजों पर नही अपितु हमारे ऊपर पड़ेगी। गाँधी अपनी पुस्तक हिन्द–स्वराज में शिक्षा के संदर्भ में भाषा के सवाल पर यह कहते हैं कि हमें अपने देश की सभी भाषाओं के उन्नति पर विचार करना चाहिए। हर एक शिक्षित हिन्दुस्तानी को अपनी मातृभाषा का, वह हिन्दू हो तो संस्कृत का, मुसलमान हो तो अरबी का और पारसी हो तो फारसी का ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ ही हिन्दी का ज्ञान सबको होना चाहिए। हिन्दुओं में से कुछ को अरबी–फारसी और कुछ मुसलमानों व पारसियों को संस्कृत भी सीखनी चाहिए।[16] उत्तर और पश्चिम के कुछ लोगों को तमिल भी सीखना चाहिए। इसके साथ ही हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी–हिन्दुस्तानी को स्वीकारना चाहिए। इसे फारसी और नागरी जिसे जो आसान लगे उसे उस लिपि में लिखने की आजादी होनी चाहिए।[17] हिन्दू–मुसलमान दोनों में मेल–जोल बनाये रखने के लिये बहुत से हिन्दुस्तानियों को इन दोनों लिपियाँ का आना आवश्यक है।[18] हमारे लिये तो यह आवश्यक है कि हम अपने आपस के व्यवहार में अंग्रेजी के व्यवहार से मुक्त हो जाए। सम्भवतः इसी बात को ध्यान में रखकर गाँधी विद्यार्थियों से आवाहन करते हुए कहते थे कि *''तुम्हारे लिये अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षक मिलें तुम अंग्रेजी बोलो इससे कुछ नहीं होने वाला है। हिन्दी या मराठी या कोई अन्य देशी भाषा बोलना और उसके जरिये पढ़ाने वाला, भिखारी, धार्मिक सब कुछ त्याग करने वाले शिक्षक तुम्हारे यहाँ हो तो यही तुम्हारा भूषण है। भले ही विद्वता में वे औरों से हार जाए। मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम विद्यापीठ को मर्यादा जान लो और उसके ध्येय को अच्छी तरह समझो।''*[19] गाँधी मातृभाषा के रूप में शिक्षा पद्धति की वकालत करते थे और कहते थे हमें अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए।[20] इस संदर्भ में भी वे हिन्दी की वकालत करते थे। यहाँ हमें स्पष्ट रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि गाँधी के हिन्दी का आशय हिन्दुस्तानी से था। इस विषय में हमें यह जान लेना चाहिए कि गाँधी राष्ट्रभाषा के संदर्भ में हिन्दुस्तानी की वकालत करते थे, परन्तु वह संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में कहते थे कि भारत की अस्मिता भारतीयता के बाहर नहीं आँकी जा सकती है और भारतीयता की समस्त मान्यतायें संस्कृत भाषा के जानकारी से बोधगम्य हो सकी हैं। यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि गाँधी स्वयं संस्कृत के ज्ञाता न होकर भी अपनी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के आधार–स्तम्भ के रूप में संस्कृत भाषा को महत्वपूर्ण मानते थे।[21] इससे स्पष्ट था कि वह संस्कृत के महत्व को भी स्वीकार करते थे।

भाषा और उसके उपयोग को लेकर गाँधी कितना संवेदनशील थे, इस बात का अंदाजा उनके द्वारा दिये गये व्याख्यानों की विवेचना करके लगाया जा सकता है। गाँधी सार्वजनिक मंच से भाशा के उपयोग के विशय में अपनी कड़वी बातों को कहने से कभी नहीं चूकते थे। उन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के रजत जयंती में दिये गये अपने व्याख्यान में कहा था कि *''मेरा ख्याल था कि कम से कम काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में होने वाले समारोह में सारी कार्यवाई अंग्रेजी में नहीं, बल्कि राष्ट्रभाषा में होगी। मैं यहाँ बैठा यही इंतजार कर रहा था कि कम से कम कोई न तो*

कोई आखिर हिन्दी या उर्दू में अवश्य कुछ कहेगा। हिन्दी–उर्दू न सही, कम से कम मराठी या संस्कृत में ही कोई कुछ कहता। लेकिन मेरी समस्त आशाएँ निश्फल हुई।''[22] गाँधी ने स्वयं यह अपना भाषण हिन्दी में दिया था। यहाँ इस तथ्य के बहाने हम यह स्वीकार सकते हैं कि गाँधी जिनकी मातृभाषा स्वयं गुजराती थी उनका ह्रदय भाषाई संदर्भ में कितना लोकतांत्रिक था। वह सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं के विकास कि वकालत करते थे। वे चाहते थे कि इन सब भाषाओं के अस्तित्व के साथ हिन्दुस्तानी–हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में देश की एकता को ध्यान में रखकर स्वीकारा जाए। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि मातृभाषा की अहमियत और एक राष्ट्रीय भाषा तथा सर्वमान्य लिपि की जरूरत को गाँधी ने जितना गम्भीरता से समझा भायद भारतीय परिदृश्य में किसी अन्य राजनेता ने नहीं समझा था। शायद तभी गाँधी ने तमाम भारतीय भाषाओं के मध्य से भारत के लिये, एक राष्ट्र के लिये उसकी सामरिकता और अखण्डता को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय भाषा के चेहरे के रूप में हिन्दी–हिन्दुस्तानी की शिनाख्त की थी, और इसी में वे आजाद भारत का विकास भी चाहते थे। वो साफ तौर पर कहते थे कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा हो जायेगा। 11 नवम्बर 1917 ई0 की बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में आयोजित एक सभा में उन्होंने कहा था कि *''मैं कहता आया हूँ कि राष्ट्रीय भाषा एक होनी चाहिए और वह हिन्दी–हिन्दुस्तानी होनी चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम अपना राष्ट्रीय कार्य हिन्दी भाषा में करें। हमारे बीच में हमे अपने कानों में हिन्दी भाषा के ही शब्द सुनाई देने चाहिए। हमारी सभाओं में वाद–विवाद हिन्दी में होने चाहिए। ऐसी स्थिति के लिए मैं जीवन भर प्रयत्न करूँगा।*''[23]

वस्तुतः हिन्दी भाषा के स्वरूप को समझते हुए गाँधी यह कहते है कि हिन्दी ही हिन्दुस्तानी है। वास्तव में वो एक ऐसी हिन्दी चाहते थे जो आसान रूप से रोजमर्रा के व्यवहार में प्रयोग होती हो। हिन्दी ऐसी हो जिसमें न संस्कृत शब्दों का एकतरफा अधिक्य हो न ही अरबी–फारसी का। वो हिन्दी–हिन्दुस्तानी में संस्कृत और उर्दू दोनों के आसान शब्द इस्तेमाल किये जाने के पक्षधर थे। वो इस संदर्भ में इतने लोकतांत्रिक थे कि अंग्रेजी या अन्य दूसरी भाषाओं के वे शब्द जो आम व्यवहार में रच–बस गए हो वो उनके इस्तेमाल से परहेज नहीं करते थे। सही मायने में वे जबरदस्ती के दूसरी भाषाओं के ठूसे शब्दों से परहेज करते थे। यहाँ हमें यह भी जान लेना चाहिए कि वो सीखने–सिखाने के संदर्भ में अंग्रेजी का भी विरोध नहीं करते थे। उनका हिन्दी–हिन्दुस्तानी से लगाव राष्ट्रीय एकता और अस्मिता के विषयों के साथ जोड़कर समझा जा सकता है। इस सम्पूर्ण प्रसंग को गाँधी द्वारा 29 मार्च 1918 ई0 को इंदौर में आयोजित हिन्दी साहित्य सम्मेलन में बताई गई हिन्दी–हिन्दुस्तानी की परिभाषा से समझा जा सकता है। वे कहते थे कि *''हिन्दी–हिन्दुस्तानी भाषा वह भाषा है, जिसको उत्तर में हिन्दू व मुसलमान बोलते हैं तथा जो नागरी और फारसी लिपि में लिखी जाती है। यह हिन्दी एकदम संस्कृत निष्ठ नहीं है न तो फारसी से लदी हुई है... भाषा वही श्रेष्ठ है जिसे आम जन–समूह समझ सके।*''[24]

सम्भवतः इन्ही बातो को ध्यान में रखकर 2 मई 1942 ई0 को गाँधी के मार्गदर्शन में 'हिन्दुस्तानी प्रचार सभा' की स्थापना हुई। इसका संस्था का उददेश्य था हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी नहीं हो बल्कि हिन्दुस्तानी यानी हिन्दी–उर्दू हो। निष्कर्ष रूप में आजादी के आन्दोलनों में होने वाले घटनाक्रमों के मद्देनजर ऐसा जान पड़ता है कि राष्ट्रभाषा के प्रति गाँधी का आग्रह अन्य दूसरी बातों से अधिक था। इसी कारण भारत विभाजन के बाद भी गाँधी राष्ट्रीय एकता और सौहार्द के लिए अपनी राष्ट्रभाषा तथा हिन्दी–हिन्दुस्तानी के सिद्धांतों पर टिके रहे। अपनी मृत्यु के अंतिम दिनों तक गाँधी इसके निमित्त अभियान चलाते रहे।

संदर्भ सूची

1. गुप्ता, ज्योतिरिन्द्र दास. लैग्वेज कॉनफ्लिक्ट एण्ड नेशनल डेवलपमेन्ट. बाम्बे : आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. 1970. पृ0 163–164.
2. देसाई, बालजी गोविन्दजी. चारित्य और राष्ट्र निर्माण गाँधी जी. अहमदाबाद : नवजीवन प्रकाशन मन्दिर. 2004. पृ0 26.
3. गाँधी, मोहन दास करम चन्द्र. रचनात्मक कार्यक्रम. अहमदाबाद : नवजीवन प्रकाशन मन्दिर. 1951. पृ0 38–39.
4. गाँधी, वही. पृ0 38–39.
5. देसाई, वही. पृ0 26.
6. देसाई, वही. पृ0 26.
7. रचनात्मक कार्यक्रम, वही. पृ0 38–39.
8. गुप्ता, चारू. द आइकॉन ऑफ मदर इन लेट कोलोनियल नार्थ इण्डिया : भारतमाता, गऊ माता, मातृभूमि. इकोनॉमी एण्ड पोलिटिकल विक्ली (पत्रिका) मुम्बई. नवम्बर 2001.
9. गाँधी, महात्मा. मेरे सपनो का भारत (संकलनकर्ता आर0 के0 प्रभु) अहमदाबाद : नवजीवन प्रकाशन मन्दिर. 1960. पृ0 216.
10. मेरे सपनो का भारत, वही. पृ0 116.

11. शांती का संदेश प्रार्थना सभाओं में गाँधी जी के भाषण. दिल्ली : प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार. 2018. पृ0 115.

12. शांती का संदेश, वही. पृ0 116.

13. गाँधी, महात्मा. हिन्द–स्वराज (महात्मा गाँधी का जीवन दर्शन). दिल्ली : सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन. 2014. पृ0 80.

14. हिन्द–स्वराज, वही. पृ0 81.

15. हिन्द–स्वराज, वही. पृ0 82.

16. हिन्द–स्वराज, वही. पृ0 83.

17. हिन्द–स्वराज, वही. पृ0 82–83.

18. तिलक विद्यापीठ के पदवीदास सभारम्भ के मौके पर गाँधी का दिया हुआ भाषण : 'नवजीवन' 14 जून 1924.

19. सत्यमूर्ति. महात्मा गाँधी का शिक्षा दर्शन. दिल्ली : अरूण प्रकाशन. 2004. पृ0 160–161.

20. जोशी, एम0सी0. गाँधी, नेहरू, टैगोर और अम्बेडकर. इलाहाबाद : अभिव्यक्ति प्रकाशन. 2015. पृ0 44–45.

21. गाँधी जी का भाषण : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की रजत जयंती 21 जनवरी 1942.

22. समीर, संत. महात्मा गाँधी और राष्ट्रभाषा. पुस्तक संस्कृति (पत्रिका), दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास. सितम्बर–अक्टूबर 2019. पृ0 16.